

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या:-क0नि0-2-565/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(79)-2012

दिनांक: 30 जून, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 जुलाई, 2012 से सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-419/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(69)-2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की सारिणी में, कम संख्या-6 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)

प्रमुख सचिव।